न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3893–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–10–2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर प्रकरण कमांक क्यू/खनि/3–6/टी.पी./2016/684.

मैसर्स आर्यवर्त टोलवेज प्रा0लि0
कार्पोरेट आफिस 201, ब्रिटिश पार्क
अपोजिट आईपर कॉलेज भोजपुर रोड़ भोपाल म0प्र0
द्वारा श्री बी.टी. रामचन्द्र राव परियोजना प्रबंधक
हाल मुकाम अशोकनगर म0प्र0
——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला अशोकनगर म0प्र0
——— अनावेदक

.....

श्री विनोद भारद्वाज, अभिभाषक आवेदक
श्री विशाल मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 07–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक कम्पनी को बिना सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदाय किये बिना ही जो आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल है। यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौके पर उत्खनन की मात्रा के निर्धारण के लिये जो सर्वे कराया गया था उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई तथा आवेदक कम्पनी के जानकारी के अनुसर खसरा ने 499, 500 तथा 501

में जो पैमाइश उत्खनन के लिये की गई थी उसके अनुसार औसम लम्बाई 509 मीटर औसम चौडाई 65 मीटर व गहराई 14 मीटर नापी गयी। जिससे इसका आयतन 4,63,190 घनमीटर. होता है जिससे निर्वात 30 प्रतिशत घटाकर मात्र 3,24,235 घनमीटर रह जाती है। ऐसी स्थिति में खुदाई से लगभग एक लाख घनमीटर ज्यादा की मात्रा हमारे रोड प्रोजेक्ट पर उपयोग हो गयी, यह एक जांच का विषय है। आवेदक कम्पनी ने अब तक 64,92 लाख रूपये खनिज शाखा गुना व खनिज शाखा अशोकनगर में जमा कराया जा चुका है। तर्क में यह भी कहा कि ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से उपयोग किये गये मेटेरियल की मात्रा की गणना प्रस्तुत करने का अधिकार केवल मेसर्स आर्यवर्त टोलवेज के पास है जिसके अनुसार तयशुदा मापदण्डों के हिसाब से हमारे और परियोजना के स्वतंत्र अभियंता द्वारा 1,97,341 घनमीटर की मात्रा सड़क निर्माण के लिए निकाली गयी। जिसका उल्लेख थानाप्रभारी शाढ़ौरा ने अपने जॉच रिपोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर को प्रस्तुत किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के बाद मेसर्स बागड इन्फ्रा0 प्रोजेक्टस प्रा0लि0 के निर्देशकों द्वारा गिट्टी बनाने वाले केशर प्लांट को एक सप्ताह के अन्दर उक्त खदान से हटाकर दूसरी जगह भेजा गया है इससे स्पष्ट है कि मेसर्स बागड इन्फा0 प्रोजेक्टस प्रा0लि0 द्वारा खदान से गिट्ट का उत्खनन/उत्पादन हीं किया है। मांग पत्र में दर्शायी गयी मात्रा 4,13,848 घनमीटर के सन्दर्भ में न तो कलेक्टर और न ही संभागीय प्रबन्धक म0प्र0 सड़क विकास निगम द्वारा हमे कोई सूचना दी गई, जबकि 197341 घनमीटर की सूचना एक पत्र के माध्यम से दी गई। आवेदक कम्पनी का संबंध केवल खसरा नं0 500 से उपयोग की जा रही गिट्टी से ही बाकी खसरानम्बरों पर किसे द्वारा खुदाई की गई है या उपयोग किया गया है इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है जबक आवेदक कम्पनी पर जिस अवैध उत्खनन का आरोप लगाया है जबकि आवेदक कम्पनी पर जिस अवैध उत्खनन का आरोप लगाया गया है वह उसके द्वारा कभी उत्खनित किया गया है और न ही खनिज उपलबध है।

3/ अनावेदक शासन की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक को गुना–अशोकनगर–ईसागढ़ मार्ग निर्माण हेतु ग्राम

राजेबामोरा तहसील शाढ़ौरा/अशोकनगर में सर्वे कमांक 500 रकबा 2 हेक्टेयर पर बोल्डर पत्थर उत्खन की अस्थायी अनुमति प्रदान की गई थी एवं उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि पर उत्खनन किया गया। उपरोक्तानुसार उत्खनित किए गए बोल्डर पत्थर एवं मुरम पर रॉयल्टी राशि अदायगी हेतु आवेदक कम्पनी उत्तरदायी है एवं रोड निर्माण पर उपयोग की गई गिट्टी की रॉयल्टी राशि अदायगी हेतु आवेदक कम्पनी उत्तरदायी है। यह भी तर्क किया कि आवेदक द्वारा यह निगरानी आवेदन धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया है। भू–राजस्व संहिता के अनुसार पुनरीक्षण की अधिकारिता राजस्व अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करने अथवा स्वमेव पुनरीक्षण का अधिकार इंगित करती है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी आदेश राजस्व अधिकारी का आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रचलनशील है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की धारा 57 के अनुसार कलेक्टर/अपर कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा द्वारा पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपील श्रवण करने का क्षेत्राधिकार संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल को है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पत्र अप्रचलनशील होकर निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि रॉयल्टी राशि का भुगतान करते समय रॉयल्टी की दर बोल्डर एवं गिट्टी की पृथक–पृथक है, बोल्डर, पत्थर की रॉयल्टी राशि की दर 35/– रूपये प्रति घनमीटर होगी एवं गिट्टी की रॉयल्टी की दर 100/– प्रति घन मीटर हो जावेगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल एवं गिट्टी का उपयोग सड़क निर्माण में किया गया है, को कोई चुनौती नहीं दी गई है और न ही ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि कम क्षेत्रफल में खनिज गिट्टी का उपयोग नही किया गया है एवं खनिज गिट्टी सर्वे कमांक 500 के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान परिवहन कर लाई गई है। गौण खनिज अधिनियम अनुसार उपयोग में लाई गई खनिज गिट्टी को उत्खनित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से लाने पर वैध अनुमति अभिवहन पास होना चाहिए। उक्त प्रमाण भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंत में तर्क किया कि आवेदक कम्पनी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वास्तविक

तथ्यों को छुपाया है एवं अनावेदक को वसूली योग्य रॉयल्टी राशि 3,48,92,857/– रूपये वसूल करने का पूर्ण अधिकार है और जिस हेतु आवेदक कम्पनी को मांग पत्र जारी किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह विधिअनुकूल है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम इस प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में तर्क पर विचार किया। इस प्रकरण में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण दिनांक 17–11–16 को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया गया था। यह प्रकरण लगभग 1 वर्ष तक प्रचलित रहा और अब दोनों पक्षों के अभिभाषकों द्वारा गुण–दोषों पर तर्क किये जा चुकें है। मान0 उच्च न्यायालय द्वारा भी कलेक्टर को इस मामले में जांच के आदेश दिये गये थे जिसके पश्चात पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि समय–समय पर आवेदक कम्पनी द्वारा इस तथ्य की जानकरी कलेक्टर अशोकनगर का दी थी कि बांगड कम्पनी द्वारा अवैध उत्खनन माल की डुलाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त आवेदक कम्पनी द्वारा उक्त अनुचित कार्य करने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 4212/16 प्रस्तुत की थी जिसमें मान. उच्च न्यायालय द्वारा कमशः 15–11–16 एवं 03–1–17 को आदेश पारित कर कलेक्टर अशोकनगर एवं एस0पी0 अशोकनगर को मामले की जांच करने के निर्देश दिये थे। मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के तारतम्य में कलेक्टर द्वारा जांच की जाना प्राप्त अभिलेख से विदित नहीं होती है। जहां तक आवेदक द्वारा उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि आवेदक कम्पनी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, प्राप्त अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है। कलैक्टर का अंतरिम ओदश दिनांक 07–10–16, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, के द्वारा यह लेख करते हुये कि उपयोग की गई पत्थर गिट्टी की मात्रा के संबंध में जानकारी संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ग्वालियर से मंगाई जाकर प्रश्नाधीन आदेश से 3,48,92,857/–

रायल्टी राशि अधिरोपित की गई है जबकि कलेक्टर द्वारा इस संबंध में माईनिंग आफीसर से विस्तृत जांच प्राप्त की जाना चाहिए थी तथा आवेदक को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाना था। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–10–2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में जांच कराने एवं आवेदक कम्पनी को जबाव एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर